



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

जी.बी.यू.-026/सी.पी./012/2023/M-1/473

दिनांक: 03/08/2023

::नोटिस::

समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय/छात्रावास परिसर में छात्र/छात्राओं के लिये स्वचालित मोटर वाहनों (Powered Vehicles) का प्रयोग आरम्भ से ही पूर्णतः वर्जित रहा है। उक्त के परिपेक्ष्य में पत्रांक जी.बी.यू.-002/प्रशा./2.1/2013-3068 दिनांक 15.01.2013 एवं समय-समय पर विभिन्न कार्यालय आदेशों के माध्यम से उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने संबन्धित निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। साथ ही छात्रावास आवंटन के समय छात्र/छात्राओं द्वारा "No Powered Vehicle Usage (स्वचालित मोटर वाहन प्रयोग निषेध)" संबन्धी वचन पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा किया जाता है।

No Powered Vehicles Policy को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु दिनांक 07 जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं की वाहन दुर्घटनायें बढ़ने एवं उनसे होने वाली व्यापक क्षति का संज्ञान लिया गया। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा No Powered Vehicles Policy का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।


अतः विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों/छात्राओं/अभिभावकों आदि के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन लाने की स्थिति में ऐसे वाहन स्वेच्छा से गेट नम्बर 1 एवं गेट नम्बर 5 के समीप नियत किये गये स्थानों पर सम्बन्धित के स्वयं की जिम्मेदारी पर अल्प अवधि के लिये पार्क किये जा सकेंगे। ऐसे वाहनों के अन्यत्र/अनधिकृत स्थानों पर पाये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड एवं अनुशासनहीनता की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

विश्वविद्यालय परिसर में आवागमन हेतु समस्त छात्र/छात्राओं का साईकिल प्रयोग करने के लिये भी आह्वान किया जाता है।

(डॉ० विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ को, महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
- प्रभारी, छात्र कल्याण, को सूचनार्थ।
- मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/महिला), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनापट्ट पर चश्पा कराये जाने हेतु।
- प्रभारी सुरक्षा विश्वविद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सिस्टम मैनेजर, को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


कुलसचिव